

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 10(24)शिक्षा / गुप-3 / 2020

जयपुर, दिनांक: 20 JUN 2022

आयुक्त,  
कॉलेज शिक्षा, राज.,  
जयपुर।

Sl. No. 502  
P.S./GCH/O  
Date 21.6.22

J.D. Ahm  
21/6/22

विषय:- जनसुनवाई एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग से प्राप्त जनसुनवाई एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की छायाप्रति (दिनांक 15.06.2022) संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

श. पोड्यानी  
1483/21.6.2022

(बृजमोहन नागिया)  
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1( )प्रशा./आकाशि/गुप-3/2022/2727

दिनांक : 24-6-2022

पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय (राजस्थान)/राज. स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर/राज. संगीत संस्थान, जयपुर।
4. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. के.एल. सिराधना)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार  
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक: प0 15(1)आरपीजी/जनसुनवाई/2022

जयपुर, दिनांक 15-6-22

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान  
समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान

विषय:- जनसुनवाई एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के आदेश क्रमांक प.0 5(4)आरपीजी/एस/2020 दिनांक 19.04.2022 को राजस्थान के समस्त जिलों में त्रिस्तरीय जनसुनवाई एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:-

- राजस्थान के समस्त जिलों में वी.सी के माध्यम से भी जनसुनवाई की जावे।
- राजस्थान के समस्त जिलों में आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर वी.सी के माध्यम से की जावेगी।
- जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
- समस्त संभागीय आयुक्त, अपने संभाग में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय/उपखण्ड/ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा माह में कम से कम 01 जिला स्तरीय, 01 उपखण्ड स्तरीय व 01 ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रमों का निरीक्षण करेंगे।
- समस्त जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, राजस्थान द्वारा जिला स्तरीय जनसुनवाई के अतिरिक्त कम से कम 01 ग्राम पंचायत एवं 01 उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई शिविर में भाग लेंगे।
- जनसुनवाई के दौरान आमजन के लिए आवश्यकतानुसार बैठने के लिए छायादार स्थान एवं पानी की समुचित व्यवस्था की जावे।
- सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के परिवादियों को पूर्व में ही सूचित शिविर में समाधान सुनिश्चित किया जाये।
- सम्पर्क पोर्टल पर निस्तारित किए गए ऐसे प्रकरण जिनमें परिवादी असंतुष्ट है उनमें से भी कुछ प्रकरणों को पुनः समीक्षा कर सुनवाई की जाये।
- जनसुनवाई में पूर्व में दर्ज प्रकरणों की भी जनसुनवाई की जावे तथा जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करवाया जावे, इसके लिए पूर्व में ही प्रचार-प्रसार किया जावे।
- आमजन को सुनवाई से पूर्व ही SMS/Voice call से सूचित किया जावे।

भवदीय

3

(आलोक गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

कार्यालय शासन सचिव  
राज्य एवं प्रकृति संरक्षण विभाग  
राजस्थान सरकार, जयपुर  
दिनांक 16.6.22

3190

16.6.22

PS

JS, HE

JS, TE

DS, HE

16.06.2022

2  
16/6/2022

SP II

SP II

16/6



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन अभियोग निराकरण विभाग।
4. निजी सहायक, अध्यक्ष, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, जयपुर।
- ✓ 6. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/राजकीय उपक्रम निगम/मण्डल।
11. महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करावे।
12. प्रबंध निदेशक, राजकॉम्प, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
13. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, संपर्क पोर्टल, जन अभियोग निराकरण विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

  
(डॉ० ओमप्रकाश बैरवा)  
संयुक्त शासन सचिव